



सेकण्ड रिवीजन क्रमांक 106

153

R 661/1106

माननीय राजस्व मंडल, खालार म०प्र० केम्प, उज्जैन म०प्र०

घन्ना पिता अंबारामजी कुल्लि, आयु करिव
५२ वर्षी, घैषा- कृष्णा, निवासी ग्राम -
कनेरी तेहसील व जिला रतलाम म०प्र० --- प्राणी

श्री-आ/व लेश श्रीप्रिय
अभिभाषण
उज्जैन केम्प
यादुग
11/4/06

विरुद्ध

1. रामुड़ी उर्फ नानकी ^{कन्याजी} ~~पत्नी~~ छत्तवतीराव
मील, निवासी ग्राम मोखानी हाल
मुकाम ग्राम काहीगुलरी तेहसील रावटी
2. रामुड़ी पति अमरा मील, निवासी
ग्राम मोखानी हाल मुकाम ग्राम
मकोड़िया तेहसील धादिला जिला मन्डला
3. कचरी पति स्व० गुजार मील, निवासी
ग्राम कनेरी तेह० व जिला रतलाम म०प्र० ---प्रतिप्राणीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०म०रा०

नाराराजी विद्वान अधिवस्थ न्यायालय श्रीमान
अपर आयुक्त महोदय, सभाग उज्जैन (पीडापीन
अधिकारी) राजकुमारी खन्ना) द्वारा प्रकरण
क्रमांक १८६/२००३-२००४ निगरानी में प्राप्त
आदेश दिनांक ८-३-०६ से दुःखी एवं असुख होकर
जिसके द्वारा प्रतिप्राणी क्र० १ व २ द्वारा प्रस्तुत
निगरानी को स्वीकार किया गया है के विरुद्ध
यह निगरानी आदेशपत्र प्रस्तुत है।

[Signature]

R 166-1/06 २२लाग

२५.११.२०१७

DD.

आवेदक की ओर से ¹³¹⁰
कोई उपायित नहीं। आगवेदकगण
की ओर से भी एक आठ-थाइव
आय-आपक उपायित। तीन
बार पुकार लगवाई गई, फिर भी
कोई उपायित नहीं। अतः
प्रकार अदम पेंची में खारिज
किया जाता है।

म
अ

अध्यक्ष